हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/12/24 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य से व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। मत आदेश की पालना में दिनांक 20/12/24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर 20/12/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 02/01/2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई 02/01/2025 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य से व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। मत आदेश की पालना में दिनांक 20/01/2025 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर 20/01/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 07/02/2025 को पेश हो उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा) 07/02/25 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य से व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। मत आदेश की पालना में दिनांक 14/2/25 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर 14/02/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष बहस सुनी। प्रार्थना पत्र पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा २१२ सिविरी नियुक्त करने बाबत स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा २१२ सिविरी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पालना हेतु तहसीलदार कोटपूतली को तहरीर जारी हो। पत्रावली के जेल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 14/2/25

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)

PH:-01420-228487
E-Mail:-sdo-ban-dau-rj@nic.in

प्रकरण संख्या :—184 / 2022
प्रकरण दायर दिनांकः— 08.09.2022
प्रकरण निर्णय दिनांकः— 14.02.2025

उनवान

1. मांगीलाल पुत्र मूल्या उम्र 58 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम मोटूका तहसील बसवा जिला दौसा

बनाम

1. धन्नी पत्नि कन्ना
2. पूरण पुत्र कन्ना
3. कालू पुत्र कन्ना
4. लाला पुत्र कन्ना
5. रमेश पुत्र कन्ना
6. संतो पुत्री कन्ना
7. कल्ली पुत्री कन्ना
8. लाली पुत्री कन्ना
9. कालू पुत्र प्रभात्या
10. किशनलाल पुत्र पेमा
11. किशोर पुत्र प्रभात्या
12. गील्याराम पुत्र पेमा
13. गोविन्दा पुत्र हरफूल
14. बन्नो देवी पत्नि छोटेलाल
15. मोतीलाल पुत्र छोटेलाल
16. हीरालाल पुत्र छोटेलाल
17. बनवारी पुत्र छोटेलाल
18. महेन्द्र पुत्र छोटेलाल
19. रामगल्ला देवी पत्नि जगदीश
20. मीरा पुत्री छोटेलाल
21. जन्नो देवी पत्नि झब्बू
22. धर्मी पुत्र झब्बू
23. गिर्राज पुत्र झब्बू
24. रिंकू पुत्र झब्बू
25. चन्दो पुत्री झब्बू
26. दिनेश पुत्र घनसी
27. पून्याराम पुत्र मूल्या
28. केशन्ता पत्नि पांचूराम
29. कजोड पुत्र पांचूराम

१५६८

Scanned with OKEN Scanner

30. कमलेश पुत्र पांचूराम
31. मनीष पुत्र पांचूराम
32. बबीता पुत्री घनसी
33. रज्जो पुत्री घनसी
34. बिशन्या पुत्र हरफूल
35. मुकेश पुत्र प्रभात्या
36. रामसिंह पुत्र प्रभात्या
37. लल्लू पुत्र हरफूल
38. लाली देवी पत्नी किशनलाल
39. विश्राम पुत्र पेमा

समस्त जातियान माली निवासी मोटूका तहसील बसवा जिला दौसा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रिसवरी नियुक्त करवाने बाबत।

प्रार्थीगण द्वारा विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रिसिवरी नियुक्त करवाने बाबत जर्ये वकील श्री ओमप्रकाश सैनी के इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी व अप्रार्थी कि संयुक्त खातेदारी भूमि वाके रामा ग्राम मोटूका पटवार हल्का रलावता भू.अ.नि. बडियाल कलां तहसील बसवा जिला दौसा स्थित है जिसके खाता संख्या नया 255 व खाता संख्या 73 है जिसके खसरा संख्या 1024, 1027, 1053, 1292 लगायत 1299, 1302 लगायत 1304, 473, 474, 475, 477, 478,479, 481, 482, लगायत 492, 498, 499 कुल किता 34 कुल रकबा 5.57 ऐयर एवं खाता संख्या पुराना 70 नया 91 के आराजी खसरा नंबर 1287, 1352, 881/1744, 882, 883 कुल रकबा 2.19 हैक्टेयर जो वाके रामा ग्राम मोटूका तसहील बसवा जिला दौसा में स्थित है। भूमि मुतदाविया प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 37 की पैतृक खातेदारी काश्त की भूमि है जिस पर अर्से दराज से काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है मौके पर बुजुर्गान के समय से ही भूमि बाहमी राजीनामे से बंटी हुई है तथा प्रत्येक खातेदार जमाबंदी में दर्ज अपने अपने हिस्से पर बहामी राजीनामे से ही काबिज काश्त होकर उसका उपयोग उपभोग कर रहा है चूंकि अभी तक भूमि मुतदाविया का विधिवत तकास्मा नहीं हुआ है इस कारण वादी व प्रतिवादीगण के बीच सीमाज्ञान या सीमा क्षेत्र के अभाव में फसल काटते समय या फसल बोते समय वादी व प्रतिवादीगण के बीच आपस में विवाद उत्पन्न हो जाता है अप्रार्थीगण, प्रार्थी की सडक के पास वाली भूमि को हडपना चाहते थे इसलिये प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के खिलाफ माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन भी जारी किया हुआ है जो वर्तमान में भी जारी है। दिनांक 23.06.2022 को प्रार्थी व अप्रार्थी के बीच भूमि मुतदाविया में फसल बोते समय आपस में गंभीर रूप से लडाई हो गई और मौके पर मौजूद लोगो में धारदार हथियारों से मारपीट हो गई और एक आदमी की मृत्यु तक हो चुकी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके थे और अप्रार्थीगण व कुछ गांव के लोगो ने मिलकर प्रार्थी के मकान को भी पेट्रोल डालकर जला दिया है इस घटनाक्रम के संबंध में पुलिस थाना बांदीकुई में दो एफ आई आर दर्ज हो चुकी है जिसके एफ आर नंबर 0395/22 व 405/22 दर्ज है। और उक्त भूमि को लेकर विवाद कभी भी प्रार्थी व अप्रार्थी के

৫৬৫-

Scanned with OKEN Scanner

बीच उत्पन्न हो सकता है और दुबारा भी मर्डर होने की पूरी संभावना है इसलिये जब तक भूमि मुतदाविया को विधिवत तकास्मा नहीं हो जाता है तब तक के लिये तहसीलदार को रिसीवर नियुक्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। यह है कि प्रार्थी हिस्से की भूमि पर अप्रार्थीगण जबरन कब्जा कर कभी भी प्रार्थी की फसल को नष्ट कर सकते है व मौके की स्थिति को परिवर्तित कर सकते है। ऐसी स्थिति में वापस प्रार्थी व अप्रार्थी के बीच खून खराबा हो सकता है। इसलिये न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र रिसिवरी नियुक्त करने बाबत पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि मुतदाविया का जब तक विधिवत तकास्मा नहीं हो जावे तब तक के लिये भूमि मुतदाविया की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु तहसीलदार महोदय को रिसीवर नियुक्त किया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण विधिवत जर्ये रजिस्टर ए. डी. नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 08, 10, 12 लगायत 34, 37 लगायत 39 बावजूद रजिस्टर्ड ए.डी. तामिल उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तथा अप्रार्थी संख्या 9, 11, 35, 36 की ओर से एड. श्री सम्पतराम जांगिड ने वकालतनामा व जबाब पेश किया। अप्रार्थीगण संख्या 9, 11, 35, 36 की ओर से प्रस्तुत जबाब के अनुसार उक्त वर्णित भूमि के स्थित होने के तथ्य सही है स्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 2 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार तहरीर किये गये है गलत है असत्य है अस्वीकार है प्रतिवादीगण ने वादी से कभी कोई विवाद नहीं किया है। प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 3 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार तहरीर किये गये है गलत है असत्य है अस्वीकार है प्रतिवादीगण ने वादी से कभी कोई विवाद नहीं किया है और ना ही झगडा किया बल्कि वादी व वादी के परिवार वालो ने मिलकर प्रतिवादीगण के परिवार वालो के साथ धारदार हथियारों से गंभीर लडाई की थी जिससे प्रतिवादीगण के परिवार के एक आदमी की हत्या हो चुकी है जिस बाबत प्रतिवादीगण ने पुलिस थाना बांदीकुई में एक मुकदमा वादी व वादी के परिवार वालो के खिलाफ मुकदमा नं. 0395/2022 दर्ज करवा रखा जिसमें वादी के परिवार वालो पांच आदमी जेल में बंद है। प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण के परिवार वालो ने आज दिनांक तक किसी प्रकार का कोई झगडा नहीं किया है इसलिए वादी ने न्यायालय के समक्ष जो प्रार्थना पत्र पेश किया है वह गलत है निराधार तथ्यों के आधार पर पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

प्रकरण में वकील उभयपक्ष द्वारा बहस की गयी। हमने वकील उभयपक्ष बहस सुनी । प्रार्थी वकील ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का एवं अप्रार्थीगण वकील द्वारा प्रस्तुत बहस में जबाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने उभयपक्ष वकील बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजातों का अवलोकन किया गया। भूमि मुतदाविया प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 37 की पैतृक खातेदारी काश्त की भूमि है। जिसमे न्यायालय हाजा की आदेशिका दिनांक 07.07.2021 के अनुसार खसरा नं. 1287, 1352, 881/1744, 882, 883 कुल रकबा 2.19 हैक्टेयर वाके रामा ग्राम मोटूका में मौके की यथास्थिति एवं आदेशिका दिनांक के अनुसार खसरा संख्या 1024, 1027, 1053, 1292 लगायत 1299, 1302 लगायत 1304, 473, 474, 475, 477, 478, 479, 481, 482,

अ५६-

Scanned with OKEN Scanner

लगायत 492, 498, 499 कुल किता 34 कुल रकबा 5.57 ऐयर वाके रामा मोटूका पर मौका रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु स्थगन आदेश प्रभावी है। जो आदिनांक तक प्रभावी है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य, पत्रावली में संलग्न पुलिस एफआईआर रिपोर्ट, अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जबाब व अन्य दस्तावेज से यह प्रतीत होता है उक्त विवादित भूमि का जब तक तकास्मा नहीं हो जाता तब तक दोनो पक्षो के बीच विवाद व लडाई झगडे की प्रबल संभावना है। अतः विवादित भूमि के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजातों के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 रिसिवरी नियुक्त करवाने बाबत स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित भूमि खाता संख्या नया 255 व खाता संख्या 73 है जिसके खसरा संख्या 1024, 1027, 1053, 1292 लगायत 1299, 1302 लगायत 1304, 473, 474, 475, 477, 478, 479, 481, 482, लगायत 492, 498,499 कुल किता 34 कुल रकबा 5.57 ऐयर एवं खाता संख्या पुराना 70 नया 91 के आराजी खसरा नंबर 1287, 1352, 881/1744, 882, 883 कुल रकबा 2.19 हैक्टेयर वाके रामा ग्राम मोटूका तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा का तहसीलदार बांदीकुई को रिसीवर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि उक्त विवादित भूमि का जब तक विधिवत तकास्मा नहीं हो जाता तब तक उक्त विवादित भूमि की सुरक्षा एवं संरक्षण किया जावें तथा उक्त वादग्रस्त भूमि में होने वाली उपज/पैदावार की विधिवत निलामी की जाकर राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांकः 14.02.2024 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

निर्णय सुनाया गया।

14/2/24

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बाँदीकुई